आईएएल एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	4
4.	सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	5
5.	31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन-पत्र	8
6.	31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ हानि खाता	9
7.	लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियां	10

निदेशक-मंडल (24.12.2010 को)

श्री अरविन्द जाधव	अध्यक्ष
श्री ई. के. भारत भूषण	
श्री प्रशांत सुकुल	
एसीएम (सेवानिवृत्त) फली एच. मेजर	

लेखा परीक्षक

मैसर्स लोचन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
बी-I, धर्मा अपार्टमेंट्स,
इन्द्रप्रस्थ, एक्सटेंशन,
नई दिल्ली - 110 092.

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

पंजीकृत कार्यालय

एयरलाइन्स हाउस,
113, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली - 110 001.

निदेशकों की रिपोर्ट

आपकी कंपनी के निदेशकों को दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 की अवधि के लिए आई.ए.एल. एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड के परीक्षित लेखों के साथ सातवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

गठन

कंपनी का गठन दिनांक 27 अगस्त, 2003 को (कंपनी रजिस्ट्रार, एन.सी.टी. तथा हरियाणा, नई दिल्ली द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या यूएल-3013 डी.एल.-2003 पीएलसी 121950 द्वारा) हुआ था जिसका पंजीकृत कार्यालय 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली - 110 001 में है। कंपनी ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को (कंपनी रजिस्ट्रार, एन.सी.टी. तथा हरियाणा, नई दिल्ली द्वारा संख्या 55-121950 के माध्यम से जारी) व्यवसाय प्रारंभ करने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

कंपनी का उद्देश्य, अन्य कार्यों के साथ-साथ, विभिन्न एयरपोर्टों पर विमान हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध करना है।

पूंजीगत संरचना

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी

क)	i)	10/- रुपए मूल्य के 9 करोड़ इक्विटी शेयर	90,00,00,000/- रुपए
	ii)	100/- रुपए मूल्य के 10 लाख रीडीमेबल प्रेफरेन्स शेयर	10,00,00,000/- रुपए
			100,00,00,000/- रुपए
ख)		जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी	
		10/- रुपए मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	5,00,000/- रुपए

प्रचालन

प्रचालन संबंधी मामले को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

वित्तीय परिणाम

लाभ-हानि खाते में प्रशासनिक प्रभार, फाइलिंग शुल्क, विशेषज्ञ प्रभार के लिए प्रावधान एवं लेखा परीक्षक के शुल्क के रूप में 18,317/- रुपए (अठारह हजार तीन सौ सत्रह केवल) की हानि हुई।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि :-

i) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों को अपनाया गया है।

ii) उन्होंने इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया व उन्हें तद्नुरूप लागू किया और ऐसे निर्णय लिए और आकलन किया है जो जिम्मेदारीपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की स्थिति के बारे में तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि के संबंध में सत्य एवं सही जानकारी प्राप्त हो सके।

iii) कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की परिसम्पत्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की पहचान करने एवं उन्हें रोकने के लिए उन्होंने लेखों के समुचित रिकार्ड रखने में पर्याप्त सावधानी बरती है।

iv) उन्होंने वार्षिक लेखे गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए हैं।

लेखा परिक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त मैसर्स लोचन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नई दिल्ली ने वर्ष 2009-10 के वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा की।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के सम्मुख उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने दिनांक 19 नवम्बर, 2010 के अपने पत्र संख्या जीएपी/आईएएल-एएसएल/4-17/2009-10/441 के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए आईएएल-एएसएल एयरपोर्ट सर्विसेज़ लि. के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है एवं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान आई.ए.एल. एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड के निदेशक मंडल की चार बैठकें हुईं। वर्तमान निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित हैं :

1. श्री अरविन्द जाधव
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नैसिल (अब एअर इंडिया लि.)

2. श्री ई. के. भारत भूषण
   संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय

3. श्री प्रशांत सुकुल
   संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

4. एसीएम (सेवानिवृत्त) फली एच. मेजर

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री एन. वागुल द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं की निदेशक मंडल ने सराहना की।

निदेशक मंडल नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्रधिकरण, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, कंपनी कार्य विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (अब एअर इंडिया लि.), एयरलाइन्स एलाइड सर्विसेज़ लिमिटेड तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 दिसम्बर, 2010

आई.ए.एल. एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **आई.ए.एल.एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड** के वित्तीय ब्योरे तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का दायित्व, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स ऑफ इंडिया नामक उनके व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय ब्योरों पर अपना मत व्यक्त करना है। दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से यह कार्य कर लिया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **आई.ए.एल.एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड** के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./-
इला सिंह
प्रधान निदेशक - वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-I, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 नवम्बर 2010

आई.ए.एल. एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने **मैसर्स आई.ए.एल. एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड** के दिनांक 31 मार्च, 2010 के संलग्न तुलन पत्र तथा उस वर्ष के संलग्न लाभ-हानि खाते की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय ब्योरे कंपनी के प्रबंध वर्ग का दायित्व है। हमारा दायित्व इन वित्तीय ब्योरों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। उक्त मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें ताकि वित्तीय ब्योरों में कोई बड़ी त्रुटी न होने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो। लेखा परीक्षा में टेस्ट आधार पर राशि से संबंधित तथ्य तथा वित्तीय ब्योरों में घोषणा की जांच सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए जा रहे लेखांकन सिद्धांतो का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा रखे गए महत्त्वपूर्ण प्राकलन के साथ-साथ समग्र रूप से वित्तीय ब्योरे के मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के संबंध में युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उप धारा (4क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी आदेश (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) 2003 की अपेक्षाओं के अनुसार हम लागू होने की सीमा तक निर्दिष्ट आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में स्पष्ट किए गए मामले का ब्योरा अनुलग्नक में संलग्न करते हैं।

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुलग्नक में हमारी टिप्पणियों के अलावा हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   i) हमने कंपनी लेखा परीक्षा के लिए वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार जरूरी हैं।

   ii) हमारी राय में तथा खाता-बहियों की हमारी जांच से यह ज्ञात होता है कि कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उपर्युक्त खाता बहियां रखी हैं।

   iii) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ-हानि खाते खाता-बहियों तथा विवरणों के अनुरूप हैं।

   iv) हमारी राय में इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में दिए गए लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

   v) 31 मार्च, 2010 को निदेशकों द्वारा प्राप्त लिखित निरूपण के आधार पर एवं जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, 1956 के कंपनी एक्ट की धारा 274 (1) की धारा (जी) के खण्ड में 31 मार्च, 2010 के अनुसार कोई भी निदेशक, निदेशक पद पर नियुक्ति के पश्चात् अयोग्य नहीं ठहराए गए हैं।

   vi) हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं संलग्न नोट में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अपेक्षित सूचना आवश्यकतानुसार प्रदान की गई है जो निम्नलिखित संदर्भ में सत्य एवं उचित सूचना प्रस्तुत करती है :

      क. कंपनी तुलन पत्र के आधार पर 31 मार्च, 2010 को कंपनी की स्थिति के संदर्भ में।

      ख: कंपनी के लाभ-हानि खाते के आधार पर 31 मार्च, 2010 को हानि के संदर्भ में।

कृते लोचन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
पंजीकरण संख्या. 008019एन

हस्ता./-
अमित बंसल
भागीदार
सदस्यता संख्या. 091598

स्थान : नोएडा
दिनांक : 29 सितंबर 2010

लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

पैराग्राफ (3) में उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में.

1. कंपनी की कोई स्थायी सम्पति नहीं है, अतः कोई टिप्पणी नहीं दी जा रही है।

2. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई इन्वेंटरी नहीं ली, अतः कोई टिप्पणी नहीं दी जा रही है।

3. क) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर के अनुसार कंपनी ने किसी कंपनी, फर्म या अन्य पार्टियों को कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिया है।

   ख) इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

   ग) इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

   घ) इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

   ङ) कंपनी पर मैसर्स नैसिल (पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लि.) का 66,55,120/- रुपए का ऋण है जिसमें 66,37,353/- रुपए का आरंभिक शेष सम्मिलित है। (इसमें 66,14,202/- रुपए के प्रारंभिक व्यय सम्मिलित है))।

   च) यह ऋण किसी विशेष शर्त पर नही लिया गया है। अतः यह कंपनी के हित में प्रतिकूल नहीं है।

   छ) कोई लिखित करार नहीं है तथा जैसा स्पष्ट किया गया है कंपनी का कोई ओवर ड्यू नहीं है।

4. कंपनी ने कोई व्यावसायिक गतिविधि प्रारंभ नहीं की है तथा कंपनी की व्यावसायिक गतिविधि के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था नहीं है।

5. क) वर्ष के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुरूप रजिस्टर में चढ़ाया जाना अपेक्षित हो।

   ख) इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

6. कंपनी ने पब्लिक से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। अतः कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58क और 58 कक तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

7. इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

8. हमारी जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1) (घ) के तहत केन्द्र सरकार ने कंपनी के लिए लागत रिकार्ड के रख-रखाव के निदेश नहीं दिए हैं।

9. क) सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा परीक्षा पद्धति के अनुरूप उपलब्ध कराए गए खातों एवं रिकार्ड तथा हमारी जांच के अनुसार कंपनी पर भुगतान के लिए कोई अविवादित बकाया नहीं है।

   ख) उपर्युक्त "क" के संदर्भ में इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

10. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए रिकार्डों के अनुसार वित्तीय संस्थानों या बैंकों को कोई राशि देय नहीं है।

11. जमानत के आधार पर शेयरों, डिबेन्चरों या अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रख कर कंपनी ने कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

12. कंपनी चिट फंड कंपनी नहीं है अतः यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

13. इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

14. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अन्य द्वारा बैंको या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दी है।

15. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।

16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं 31.03.2010 तक की अवधि की लेखा बहियों की समग्र जांच के अनुसार यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा लघु अवधि के लिए एकत्र धन को दीर्घ अवधि के लिए निवेश या उससे उलट नहीं किया जा रहा है।

17. इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

18. इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

19. इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

20. यह प्रमाणित किया जाता है कि लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी की जानकारी या सूचना में कंपनी पर या कंपनी द्वारा धोखेबाजी का कोई मामला नहीं है।

कृते लोचन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
पंजीकरण संख्या. 008019एन

हस्ता./-
अमित बंसल
भागीदार
सदस्यता संख्या. 091598

स्थान : नोएडा
दिनांक : 29 सितंबर, 2010

31, मार्च 2010 को तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2010 को		31 मार्च, 2009 को	
निधियों के स्रोत :					
1. शेयर धारकों की निधि :					
क) शेयर पूंजी	1		500000		500000
			500000		500000
निधियों की प्रयोज्यता :					
क) नकद एवं बैंक शेष	2	393998		394548	
		393998		394548	
घटाकर : चालू देयताएं तथा प्रावधान					
चालू देयताएं	3	6660635		6642868	
		6660635		6642868	
निवल चालू परिसंपत्तियां			(6266637)		(6248320)
विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाले गए)	4		6614202		6614202
लाभ-हानि खाता	5		152435		134118
			500000		500000
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	7				

उपर्युक्त अनुसूची तथा संलग्न टिप्पणियां लेखों के अभिन्न भाग हैं।

सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते लोचन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
पंजीकरण संख्या. 008019एन

हस्ता./-
अमित बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 091598

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

हस्ता./-
ए. के. शर्मा
मुख्य प्रचालन अधिकारी

हस्ता./-
ए. के. अग्रवाल
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 सितम्बर, 2010

31, मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि खाता

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2009 - 10	2008 - 09
आय :			
बैंक से प्राप्त ब्याज		शून्य	2250
कुल आय		शून्य	2250
व्यय :			
प्रशासनिक व्यय	6	18317	16165
कुल व्यय		18317	16165
कर पूर्व लाभ / (हानि)		(18317)	(13915)
कर के लिए प्रावधान		0	0
कर पश्चात् लाभ / (हानि)		(18317)	(13915)
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष		(18317)	(13915)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	7		

उपर्युक्त अनुसूची तथा संलग्न टिप्पणियां लेखों के अभिन्न भाग हैं।

सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते लोचन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
पंजीकरण संख्या. 008019एन

हस्ता./-
अमित बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 091598

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

हस्ता./-
ए. के. शर्मा
मुख्य प्रचालन अधिकारी

हस्ता./-
ए. के. अग्रवाल
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 सितम्बर, 2010

तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां

अनुसूची - 1 : शेयर पूंजी :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
(10/- रुपए प्रत्येक के 9 करोड़ इक्विटी शेयर)	**900000000**	900000000
(100/- रुपए प्रत्येक के 10 लाख रिडीमेबल प्रेफरेन्स शेयर)	**100000000**	100000000
कुल	**1000000000**	1000000000
जारी किए गए, अभिदत्त तथा प्रदत्त		
(10/- रुपए प्रत्येक के 50000 इक्विटी शेयर)	**500000**	500000
कुल	**500000**	500000

अनुसूची - 2 : नकद तथा बैंक शेष :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
नकद रोकड़	-	-
भारतीय स्टेट बैंक में शेष	**393998**	394548
कुल	**393998**	394548

अनुसूची - 3 : चालू देयताएं :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
व्यय के लिए देयताएं	**5515**	5515
नैसिल (पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लि.)	**6655120**	6637353
कुल	**6660635**	6642868

अनुसूची - 4 : विविध व्यय :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
(जिस सीमा तक बट्टे खाते नहीं डाले गए)		
प्रारंभिक व्यय	6614202	6614202
कुल	6614202	6614202

अनुसूची - 5 : लाभ तथा हानि खाता :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
प्रारंभिक शेष	134118	120203
जमा : वर्ष के दौरान हानि	18317	13915
कुल	152435	134118

लाभ एवं हानि खाते के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां

अनुसूची - 6 : प्रशासनिक व्यय :

(राशि रुपए में)

विवरण	2009-10	2008-09
बैंक प्रभार	550	550
फाइलिंग शुल्क	2000	4500
व्यावसायिक प्रभार	10252	5600
लेखा परीक्षा शुल्क	5515	5515
कुल	18317	16165

अनुसूची - 7 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां :

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा अवधारणा

भारत में लागू लेखा मानदण्डो के अनुसार परम्परागत लागत पद्धति के अंतर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। कंपनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति प्रयोग में लाती है तथा आय एवं व्यय को वास्तविक प्राप्ति / देय के आधार पर खातों में चढ़ाया जाता है।

2. विविध व्ययों को चुकता करना

कंपनी को अभी अपने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने हैं, अतः आरभिंक व्ययों को चुकाया नहीं गया है।

3. चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिम का मूल्यांकन

चालू परिसंपत्तियों में बैंक शेष तथा 31.03.2010 तक जमा कराए गए चैक, जिन्हें क्रेडिट नहीं किया गया, शामिल हैं। कंपनी ने कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

1. लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान :

	वर्तमान वर्ष (रुपए)	गत वर्ष (रुपए)
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	**5515/-**	5515/-

2. गत वर्ष के आंकड़ों को तुलन पत्र की आवश्यकतानुसार पुनःवर्गीकृत एवं पुनःव्यवस्थित किया गया है।

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते लोचन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
पंजीकरण संख्या. 008019एन

हस्ता./-
अमित बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 091598

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

हस्ता./-
ए. के. शर्मा
मुख्य प्रचालन अधिकारी

हस्ता./-
ए. के. अग्रवाल
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 सितम्बर, 2010

अनुलग्नक

तुलन पत्र सार तथा कंपनी की सामान्य व्यावसायिक रूपरेखा :

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसरण में विवरण

I. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण सं.		121950	राज्य कोड	:	55
तुलन पत्र की तारीख	:	31 मार्च, 2010			

II. वर्ष के दौरान अर्जित पूंजी (राशि हजार रुपए में) :

पब्लिक इश्यू	:	शून्य	राइट इश्यू	:	शून्य
बोनस इश्यू	:	शून्य	निजी प्लेसमेंट	:	शून्य

III. निधि व्यवस्था एवं नियोजन की स्थिति (राशि हजार रुपए में) :

कुल देयताएं	:	500	कुल परिसंपत्तियां	:	500

निधि के स्रोत :

प्रदत्त पूंजी (शेयर एप्लीकेशन राशि सहित)	:	500	आरक्षिती एवं अधिशेष	:	शून्य
रक्षित ऋण	:	शून्य	अरक्षित ऋण	:	शून्य

निधियों की प्रयोज्यता :

निवल स्थिर परिसंपत्तियां	:	शून्य	निवेश	:	शून्य
निवल चालू परिसंपत्तियां	:	(6266)	विविध व्यय	:	6614
संचित लाभ / (हानि)	:	(152)			

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन (राशि हजार रुपए में)

कुल बिक्री	:	2	कुल व्यय	:	18
कर पूर्व लाभ / (हानि)	:	(18)	कर पश्चात लाभ / (हानि)	:	(18)
प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	:	लागू नहीं	लाभांश दर (%)	:	शून्य

V. कंपनी के 3 प्रमुख उत्पादों / सेवाओं के प्रचलित नाम (आर्थिक संदर्भ में)

वस्तु कोड सं.	:	शून्य
उत्पाद विवरण	:	शून्य

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते लोचन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
पंजीकरण संख्या. 008019एन

हस्ता./-
अमित बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 091598

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 सितम्बर, 2010

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

हस्ता./-
ए. के. शर्मा
मुख्य प्रचालन अधिकारी

हस्ता./-
ए. के. अग्रवाल
मुख्य वित्त अधिकारी